मुख्य परीक्षा

प्रश्न- सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (AFSPA) क्या है? इसे हाल ही में नागालैण्ड राज्य में पुनः 6 माह के लिए बढ़ाया गया है। इसे घोषित करने के प्रावधानों की चर्चा करते हुए इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

(250 शब्द)

What is Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA)? It has again been extended for 6 months in Nagaland. Discussing the provisions of imposing it, critically analyse it.

(250 Words)

मॉडल उत्तर

- भूमिका में अफस्पा (AFSPA) कानून को बताएं।
- अगले पैराग्राफ में नागालैण्ड राज्य के संदर्भ में इस कानून को बताएं।
- फिर अगले पैराग्राफ में इसे लागू करने के प्रावधानों को बताएं।
- फिर अगले पैराग्राफ में इसकी आलोचनाओं को बताएं।
- अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

अफस्पा कानून 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन का दमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किया गया। सशस्त्र बल (विशेषधिकार) अधिनियम विशेष शक्तियाँ अध्यादेश का संशोधित रूप है। 1958 में नागा स्वायत्तता की हिंसक माँग को ध्यान में रखते हुए इसे नवीन स्वरूप प्रदान किया गया था।

नागालैण्ड में AFSPA कई दशकों से लागू है। इस कानून को नागा उग्रवादी समूह NSCN - IM के महासचिव टी. मुइवा और सरकार के मध्य अगस्त, 2015 को एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर होने पर भी हटाया नहीं गया। रूपरेखा समझौता 18 वर्षों के बाद हुआ था, इसमें पहली सफलता तब मिली थी, जब नागालैण्ड में दशकों के उग्रवाद के बाद संघर्ष-विराम समझौता हुआ।

प्रावधान:-

- इस कानून की धारा-3 के अनुसार किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है।
- धारा-4 अशांत क्षेत्र में सुरक्षा बलों को निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदान करती है-
  1. ऐसे क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों के समूह द्वारा प्रतिबंधित आदेश की अवहेलना करने या हथियार ले जाने आदि दशाओं में बल के प्रयोग का अधिकार
  2. बिना कारण के गिरफ्तार करना और उसके लिए बल प्रयोग करना
  3. बिना कारण तलाशी लेना
  4. हमले करने या छिपने या ऐसी आशंका वाले स्थलों को नष्ट करना।
- धारा-5 के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को बिना देरी किए हुए नजदीकी पुलिस स्टेशन को सौंपना और रिपोर्ट देना।

विपक्ष:- इसके विरोधी तर्क देते हैं कि इस कानून के माध्यम से मिली शक्तियों का सशस्त्र बल दुरूपयोग करते हैं। सशस्त्र बलों को मिली अत्यधिक शक्तियाँ उन्हें असंवेदनशील और गैर-पेशेवर बनाती हैं। उन पर फर्जी एनकाउंटर, यौन उत्पीड़न आदि के आरोप भी लगते हैं। यह कानून मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के साथ नागरिक मूल अधिकारों का निलंबन करता है। जिससे लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होती हैं। धारा-3 यह स्पष्ट नहीं करती कि किस आधार पर किसी अशांत क्षेत्र को घोषित किया जाएगा। यह एक दमनात्मक प्रकृति का कानून है, जो सशस्त्र बलों को असीमित शक्तियाँ देता है, किन्तु उन्हें उत्तरदायित्व से बचाता है।

पक्ष:- इस कानून के समर्थक कहते हैं कि आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों और राजद्रोह के मामलों में सशस्त्र बल इस कानून द्वारा मिली शक्तियों के कारण प्रभावशाली तरीके से काम कर पाते हैं। इस प्रकार यह कानून देश की एकता और अखण्डता की रक्षा में योगदान दे रहा है। अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने में इस कानून के प्रावधानों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस कारण सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़ा है।

निःसंदेह कानून के दुरूपयोग की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, किन्तु देश की सुरक्षा की वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कानून की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता है।